न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 157/2021

1. महेन्द्र पुत्र श्री कुम्भाराम जाति जाट निवासी चक 5 एसजेएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. रेनू गोदारा पुत्री श्री कुम्भाराम जाति जाट निवासी चक 5 एसजेएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकंवर पत्नि श्री ईशरराम
2. रामचन्द्र पुत्र श्री ईशरराम
3. भानु प्रताप पुत्र श्री ईशरराम
4. छैलाराम पुत्र श्री ईशरराम
5. रूपाराम पुत्र श्री ईशरराम

जाति जाट निवासीगण चक 5 एसजेएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

6. उप–पंजीयक खाजूवाला।
7. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला।

....

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

प्रार्थना पत्र का ब्यौरा इस प्रकार है कि विवादित जमीन प्रार्थीगण की दादी रामकंवर के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण का कहना है कि यह जमीन प्रार्थीगण के परदादा की नागौर स्थित जमीन की कमाई से खरीद की गई है। इसलिए यह जमीन पैतृक संपत्ति है। इस जमीन में उनका हक निहित है। आज से 6 महीने पहले इस जमीन का परिवारिक मौखिक बंटवारा किया गया था जिसके अंतर्गत प्रार्थी गण के पिता को 1/8 हिस्सा प्राप्त हुआ था। प्रार्थीगण का कहना है उनकी दादी द्वेष की वजह से इस जमीन का विक्रय अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के पक्ष में करवाना चाहती है। इसलिए विवादित जमीन के सिलसिले में रिकॉर्ड और मौके का स्थगन आदेश जारी किया जाए।

अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया है विवादित जमीन प्रार्थी संख्या 1 ने बैयनामा के जरिए खरीद की है। अप्रार्थी संख्या 1 ने इस जमीन का दान पत्र अप्रार्थी संख्या 2 और 3 के पक्ष में तस्दीक करवाया है। इस दान पत्र के नामांतरण को रोकने के लिए प्रार्थीगणों द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण के पिता के नाम खाजूवाला के विभिन्न क्षेत्रों में 18 बीघा भूमि दर्ज है।

अदालत द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों और सुसंगत कानूनी प्रावधानों पर गौर किया गया। अदालत का मानना है कि इस मामले में स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित नहीं है क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 9 और 54 के अध्ययन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि मौखिक बंटवारे के आधार पर कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति में कोई दावा नहीं कर सकता। दूसरा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के मुताबिक हिंदू महिला उसकी संपत्ति की प्रतिबंधित मालिक होगी। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अपनी दादी की संपत्ति में अधिकार के तौर पर हिस्से का दावा नहीं किया जा सकता है। इसलिए अदालत की मानना है कि रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ स्थगन आदेश जारी किया जाना जायज नहीं है लिहाजा यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे आम सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2022.02.10 16:16:18 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2022.02.10 16:16:18 IST
Reason: SelfAttested